जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/22 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 20 मई 2022

भूमाफियाओं और अवैध बिल्डिंग बनाने वालों बिल्डरों के हौंसले हुए बुलंद!

एक तो सीना जोरी...ऊपर से सीना जोरी......

भाग-2

जेडीए के ज़ोन-12 मे अवैध कॉलोनी बसा रहे भूमाफियाओ ने की ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी से अभद्रता!!!

तीन बार जेडीए कर चुका है इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन-12 मे अवैध कॉलोनी बसा रहे भूमाफियाओ ने की ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी से अभद्रता!!!

जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद भूमाफियाओं और अवैध बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डरों की हिमाकत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है|इसका जीता-जागता उदाहरण जेडीए के ज़ोन 12 मे देखने को मिला|जहां पर ग्राम माचवा मे 1.5 बीघा कृषि भूमि पर तीसरी बार कार्यवाही के दौरान,अवैध कॉलोनी काटने वाले गोपीराम जाट द्वारा फोन पर ज़ोन की ईओ निर्मला वर्मा को धमकाया और जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया|हालांकि ईओ द्वारा इस बाबत मानसरोवर पुलिस थाने मे एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया गया है|

देखा जाए तो भूमाफियाओं द्वारा इतनी हिमाकत पहली बार ही की गयी है|क्यूंकी जेडीए मे ईओ के पद पर पुलिस के निरीक्षकों को प्रति-नियुक्ति पर रखा जाता है और किसी पुलिस निरीक्षक को धमकाने के मामले विरले ही करते है|

तीन बार जेडीए कर चुका है इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही!!!

जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित माचवा मे 1.5 बीघा जमीन पर जेडीए द्वारा तीसरी बार कार्यवाही की गयी है|इससे पहले 4 और 13 मई को भी इस अवैध कॉलोनी मे निर्माण ढहाए गए थे|

अवैध कॉलोनी हटाने गई ईओ से फोन पर अभद्रता, प्राथमिकी दर्ज

जयपुर @ पत्रिका. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को जोन-12 में कार्रवाई की। यहां ग्राम माचवा में 1.5 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई के दौरान ईओ (प्रवर्तन अधिकारी) निर्मला वर्मा और अवैध रूप से कॉलोनी काटने वाले गोपीराम जाट का फोन पर विवाद हो गया। ईओ ने गोपीराम के खिलाफ मानसरोवर थाने में एस.सी./ एस. टी. एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की जांच एसीपी मानसरोवर के पास है।

प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि निर्माणकर्ता ने ईओ को फोन पर गाली दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। सैनी ने बताया कि तीसरी बार इस कॉलोनी पर कार्रवाई की गई थी। इससे पहले चार और 13 मई को भी कॉलोनी में निर्माण ढहाए थे।

यहां भी की कार्रवाई

जामडोली चौराहे से जयसिंहपुराखोर को जाने वाली सड़क पर 1.5 बीघा कृषि भूमि पर बस रही अवैध कॉलोनी के निर्माण हटाए। गोनेर रोड पर साउथ ऐवेन्यू के भूखण्ड संख्या 30 से 40 के सामने से कब्जे हटाए।

राजस्थान पत्रिका और फ़र्स्ट इंडिया मे प्रकाशित खबरों से साभार

JDA writes to DCP after woman officer gets threat call for action

First India Bureau

Jaipur: JDA's Chief Controller (Enforcement) Raghuveer Saini Raghuveer Saini has written a letter to the DCP of the Police Commissionerate regarding a threat issued to enforcement officer Nirmala Kumari for taking action against an illegal colony on Machwa Kalwar Road.

The enforcement officer, on May 4 demolished an illegal colony on about one-and-a-half-bigha land.

The illegal colony was again built and the JDA got information about it. The enforcement officer took action again on May 13.

On May 14, Gopiram Jat, who constructed illegal colony, threatened Nirmala Kumari using abusive language and casteist slur. Later, Nirmala Kumari got a case registered.

Meeting over 90A held

Jaipur: JDA Commissioner Ravi Jain held discussions regarding regularising colonies in a weekly review meeting on Tuesday. He said that suo moto 90A has to be done in 350 unapproved schemes out of which action has been completed in 57 schemes. Jain also gave instructions to prepare a list of plots which have not been allotted.